



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
जोबनेर, जिला जयपुर (राज.) 303329



फोन नं. 01425-254022 (का.), ई-मेल: dean.skncoa@sknau.ac.in

वेबसाइट: <https://skncoa.sknau.ac.in>

डॉ एम. आर. चौधरी
अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष (कृषि)

क्रमांक: एफ. ()/सी.एस./श्रीकनकृमवि/2025/1344

दिनांक: 29-09-2025

कार्य आदेश

Firm Address

M/s Bioline
Plot No. E-734, Nakul Path
Lal Kothi Scheme, Jaipur- 302015
Mobile No. 9351433322
Email biolonejaipur@gmail.com

विषय:- Refrigerator की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन

संदर्भ:- E-tender No. F.03/ Compt./Acct./SKNAU/ 2025/1883 dated 10-06-2025 (category D) and वित्त नियंत्रक कार्यालय के अनुमोदन दर आदेश नं. F. 03 ()/ Compt/SKNAU/ 2025/3795 dated 14-08-2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भ में लेख है कि आपकी फर्म को माल की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन के लिए वित्त नियंत्रक कार्यालय द्वारा दरें अनुमोदन की गई है उक्त दरों पर श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में ई-बिड की शर्तों के अनुसार आपके फर्म को निम्नलिखित माल की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन का कार्य-आदेश दिया जाता है।

S. No.	Item Description	Department Name	Qty	Amount/Item with GST	Total Amount with GST
1.	Refrigerator Double Door 242 ltr	LPM	01	37612.00	37612.00

नोट:- निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों के साथ RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 पूर्ण रूप से लागू होकर ई-बिड के अनुसार RTPP नियम 2013 का नियम 29(ज) आप पर पूर्वतया प्रभावी रहेगा। महाविद्यालय एवं इसके विभागों में सामग्री आपूर्ति का कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। विलम्ब से आपूर्ति पर ई-बिड की शर्तों के अनुसार शास्ति वसूली जायेगी

1.	माल की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन का कार्य	कार्य आदेश की दिनांक से 30 दिवस में
2.	बिल:	अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के नाम से तीन प्रतियों में

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. विभागाध्यक्ष, एल.पी.एम., श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
3. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
4. इंचार्ज सिमका, को भेजकर लेख है कि इसको विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली

अधिष्ठाता